110. रियूनियन द्वीप
111. सान फ्रांसिस्को
112. सिडनी
113. चियांगमाई
114. जलालाबाद
115. कंधार
116. शिराज
117. जाहिदान
118. हांगकांग
119. मोम्बासा
120. न्यूयार्क
121. जेनेवा
122. पेरिस
123. ताशकंद
124. टोरेंटो
125. वेंकुवर
126. पश्चिम बर्लिन
127. जंजीबार

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयां

2800. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय क्षेत्रों में भर्ती पर प्रतिबंध होने की वजह से 50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान आर०पी० एफ में कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) यह सही है कि बहुत बड़े प्रतिशत में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इसका कारण केवल यही नहीं है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च में कमी करने के उपाय के रूप में भर्ती पर रोक लगाई हुई है। विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट भी दी जाती है । कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग होना (इसकी सीमा समूह "ग" में 2% से 17% और समूह "घ" में 2% से 20% तक है) या आरक्षण की कोई व्यवस्था न होना (बिहार और केरल राज्यों में) ।

(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत वर्ष में आरक्षित किए गए रिक्त स्थानों की कुल संख्या वर्ष में रक्षा सेनाओं से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की संख्या से औसतन कम होना ।

(iii) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का पूरी तरह से उपयोग न हो पाना ।

(iv) सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की कुशलता और उनकी पसंद की जगह का उपलब्ध रोजगार के लिए अपेक्षित कुशलता और जगह के अनुरूप न होना ।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों में आरक्षित पदों का पूर्ण उपयोग करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना दोनों शामिल हैं । आरक्षित पदों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :—

(i) अधिक रोजगार देने वाले मंत्रालयों/विभाग में स्थानीय कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों का क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पूल बनाना।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना।

(iii) पुनर्वास महानिदेशालय और राज्य/जिला सैनिक बोर्डों को रिक्तियों की अग्रिम सूचना देना।

(iv) किसी आरक्षित पद (पदों) का आरक्षण समाप्त करने से पूर्व योग्य भूतपूर्व सैनिक के उपलब्ध न होने की पुष्टि करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को पूरे 30 दिन दिन का समय दिया जाना।

(v) वर्ष में उपयोग न किए गए पदों को अगले वर्ष के लिए रखना बशर्ते कुल आरक्षण 50% में से अधिक न हो।

राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी इस प्रक्रिया को अपनाएं और आरक्षित पदों के उपयोग पर बारीकी से नजर रखें। जिन राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं है उनसे यह व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों की कुशलता बढ़ाने एवं रोजगार के लिए उनकी योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से सेवा-निवृत्ति से पूर्व एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात् कई प्रशिक्षण योजनाएं चलाई गई हैं।

स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई हैं :--

(i) लघु उद्योग धंधों / कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधियों में से दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर 50,000 रुपये तक ब्याज में सहायता देना।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा निर्मित और रक्षा मंत्रालय/अंतर-सेवा संगठनों को सप्लाई की गई मदों के लिए उनकी लागत पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 10% मूल्य सहायता देना, लेकिन सहायता की राशि वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने की योजना 1983-84 में आरंभ की गई। अब यह 10 राज्यों के 18 जिलों में लागू है। इसके अन्तर्गत उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लेने के पश्चात् प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iv) औद्योगिक प्लाटों/शैडों, निपटान (डिस्पोजल) वाहनों, ट्रैक्टरों, जय-जवान स्टालों, दूध की बिक्री करने वाले बूथों, फल और सब्जी की दुकानों, उर्वरक एजेंसियों एवं पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एजेंसियों के आबंटन में उनके लिए आरक्षण/उन्हें प्राथमिकता देना।

(v) यातायात, संचार एवं सुरक्षा सेवाओं के लिए भी भूतपूर्व सैनिक कम्पनियां/एसोशिएशन बनाया जाना।

(vi) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार" नामक योजना 1 अप्रैल, 1987 में शुरू की गई है। यह भारत के औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिलकर चलाई गई है ताकि जहां आवश्यक हो भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमी प्रशिक्षण दिया जा सके और आसान शर्तों पर दी गई मूल पूंजी सहायता राज्य वित्तीय कारपोरेशनों द्वारा दिए गए मियादी ऋणों को भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वापसी अदायगी करके उनकी सहायता की जा सके। आसान किस्तों पर पूंजी सहायता के लिए पुनर्वास महानिदेशालय ने कल्याण निधियों में 1 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है और भारत के

औद्योगिक विकास बैंक ने भी इतनी ही राशि दी है ।

(ग) पिछले वर्ष 721 भूतपूर्व सैनिकों को रेलवे सुरक्षा बल (आर पी. एफ) में पुनर्नियुक्त किया।

Participation in celebration in Ethiopia

2801. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether India have participated in celebrations in Ethiopia on the ocasion Of establishment of Peoples De mocratic Republic on September 13, 1987; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) India was represented by our Ambassador in Addis Ababa in the celebrations in Ethiopia on th_e occasion of the establishment of the Peoples Democratic Republic OM September 13 1987. The Foreign Minister of Ethiopia visited India in November 1987 to explain to Government the significance of the new state structure in that country.

Neglect of Ancillary Industry by Defence Industrial Units in M. P.

2802. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state;

fa) whether Government are aware that various industrial units, established by the Ministry of Defence in Madhya Pradesh, are not taking ede-quate interest for promoting their ancillary units;

(b) whether any instructions, were issued by the Ministry of Defence in July, 1979 in this regard;

(c) whether the progress of compliance of these instructions has been monitored from time to time; and

(d) whether it is a fact that the Gun Carriage Factory, Jabalpur and Ordnance Factory, Katni have parti cularly not shown any interest in this context?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) It is not a fact that adequate interest is not taken by Ordnance Factories in Madhya Praesh for promoting ancillary units.

(b) Some instructions were issued in October 1978 and April 1979 for developing ancillary industries i_n and around Jabalpur, Madhya Pradesh.

(c) Yes, Sir.

(d) The nature of items which could be procured from civil trade for use in manufacture of armament and ammunition and their components do not easily lend themselves to production In ancillary units wherein by definition investment in plant and machinery is not to exceed Rs. 45 lakhs. Therefore, the scope for developing ancillary units is limited.

Petitions received in the PM's Office

2803. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of petitions received in Prime Minister's Office from the public from January till October, 1987;

(b) the number of petitions disposed of and the 'number of petitions still pending; ana

(c) by when the pending petitions will be disposed off?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTT):

(a) and (b) Prime Minister's office received a total of 4. 45, 208 communications during the period January 1987 to October 1937. of these. 2, 42, 936 cases were referred to the concerned authorities for taking appropriate action. The remaining cases did not merit any action.

(c) Does not arise.